न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2025

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

> मण्डी रायसिंहनगर के उप पंजीयक शाखा में अन्य व्यक्ति द्वारा ए. सी. लगाया गया है।
>
> 1. ए.सी., जिस व्यक्ति द्वारा खरीद किया गया है, उकस नाम, पते की प्रमाणित प्रति।
> 2. ए.सी लगाने के लिए जिस अधिकारी की मंजूरी ली गई है, उस अधिकारी व विभाग का नाम व पूरा पते की प्रमाणित प्रति।
> 3. जिस दुकान से ए.सी. खरीद किया गया है, उस दुकान के बिल की प्रमाणित प्रति।
> 4. ए.सी. का बिजली बिल जिस व्यक्ति के नाम आता है, पूरे पते की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/521 दिनांक 23.04.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.10.2024 के क्रम में वांछित सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/24/590—91 दिनांक 28.11.2024 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन तहसील कार्यालय रायसिंहनगर को हस्तान्तरित कर प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था। तहसील कार्यालय से उपलब्ध सूचना अनुसार तहसील कार्यालय द्वारा भी पत्रांक रीडर/2024/1155 दिनांक 18.12.2024 द्वारा आवेदन के उक्त आवेदन दिनांक 21.10.2024 के क्रम में सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.10.2024 के क्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रतिवेदन मय संलग्नक प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्रम करें।

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक रीडर/2024/1155 दिनांक 18.12.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	ए.सी., जिस व्यक्ति द्वारा खरीद किया गया है, उसके नाम, पते की प्रमाणित प्रति।	आपके द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में तैयारशुदा उपलब्ध नहीं है। अतः आप कार्यालय समय में उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण कर चाही गई सूचना का संशोधित आवेदन प्रस्तुत कर देवें, ताकि आपको समय पर सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
2	जिस दुकान से ए.सी. खरीद किय गया है, उस दुकान के बिल की प्रमाणित प्रति।	
3	जिस दुकान से ए.सी. खरीद किया गया है, उस दुकान के बिल की प्रमाणित प्रति।	
4	ए.सी. का बिजली बिल जिस व्यक्ति के नाम आता है, उसका पूरे पते की प्रमाणित प्रति।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:08 IST
Reason: Self Attested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व)**, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), रायसिंनगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें तो उसके द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार देय सूचना, उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर** को पालनार्थ [illegible] आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.05.20[illegible] **द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर